न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2019 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 15.04.2019
G.C.M.S. NO. :- 2019/00063

छगनलाल पिता सोला जी जाति पूर्बिया, आयु 75 साल, निवासी केसरखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार कपासन प्रकरण संख्या 68/19 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 18.03.2018

उपस्थितिः–1– श्री अम्बालाल ओड़, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 24.08.2022

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम केसरखेडी की आराजी नम्बर 1048 रकबा 0.32 है. पर निर्मित अपीलांट के मकान के बाहर पूर्व में बनाई गई चबूतरी को तोड़ कर बनाए गए पानी के टैंक पर नाजायज कब्जा मानते हुए सुनवाई का अवसर दिए बिना मौके से बेखदली एवं 50/– रूपये जुर्माना से दण्डित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

प्र. सं. 01/2019 (रा. अ.)
छगनलाल पिता सोला जी पूर्बिया निवासी केसरखेडी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कपासन

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, कपासन से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील कपासन के ग्राम केसरखेडी की आराजी नम्बर 1048 रकबा 0.32 है. पर अपीलांट के निर्मित मकान के बाहर पूर्व में स्थित चबूतरी को तोड़कर वर्षों पूर्व बनाए गए पानी के टैंक को पटवार हल्का द्वारा नाजायज कब्जा बताने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। उक्त विवादित भूमि अपीलांट के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है और अपीलांट उक्त भूमि पर पिछले कई सालों से मकान का निर्माण कर अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना भौतिक सत्यापन किए उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है अधीनस्थ न्यायालय का उक्त विवादित आदेश पूर्णतः विधि-विरूद्ध होकर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है क्योंकि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया और जो आदेश पारित किया है वह भी मिठूलाल नामक व्यक्ति की उपस्थिति में पारित किया है आदेशिका पर मिठूलाल नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर है जिसको अपीलांट जानता तक नहीं है। निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.03.2019 को पुलिस थाना कपासन व पटवारी हल्का केसरखेडी के द्वारा उक्त चबूतरी पर बने पानी के टैंक को तोड़ने आने से हुई उसके बाद अपीलांट द्वारा तहसील कपासन में जाकर जानकारी कर निर्णय की नकल प्राप्त की जिस पर निर्णय की जानकारी हुई इसलिए जानकारी दिनांक 27.03.2019 से अपील अन्यद अवधि प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय बिलानाम रास्ते की भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से पानी का टैंक बनाकर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट ने उक्त विवादित आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2018 को पारित करना बताया है वहां हम सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित आदेश दिनांक 18.03.2018 को पारित नहीं करके दिनांक 18.03.2019 को पारित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.02.2019 में अपीलांट को हाजिर/उपस्थित होना एवं मौका निरीक्षण करने का आग्रह करना बताया है उक्त आदेशिका दिनांक पर मिठूलाल के हस्ताक्षर अंकित है जबकि अपीलांट का नाम छगनलाल होकर आदेशिका पर उसकी उपस्थिति के साक्ष्य स्वरूप उसके हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी मौजूद नहीं है तथा आगे की आदेशिकाओं पर भी कही भी अपीलांट छगनलाल के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी मौजूद नहीं है साथ ही अपीलांट ने मिठूलाल के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है।

यहां हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है जो कि नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.03.2019 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि-सम्मत् निर्णय पारित करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(गितेश श्री मालवीय)